



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.11.2025

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 22/23.11.2025 की रात्रि को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त दीपू पुत्र बाबू तोमर निवासी ज्वालापुर लाल मन्दिर जग्गू घाट थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार मूल पता राज का ताजपुर थाना राजा का ताजपुर जनपद बिजनौर उम्र करीब 30 वर्ष को सूर्यनगर के पास जाने वाले रास्ते पर रेलवे पुल थाना लिंक रोड से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त दीपू पुत्र बाबू उपरोक्त का थाना लिंक रोड क्षेत्र में एक संगठित गिरोह है । जिसका मुखिया कपिल कुमार गौतम है । अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक धन अर्जित करने के लिये चोरी/लूट जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपू पुत्र बाबू तोमर निवासी ज्वालापुर लाल मन्दिर जग्गू घाट थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार मूल पता राज का ताजपुर थाना राजा का ताजपुर जनपद बिजनौर उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त दीपू पुत्र बाबू तोमर उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर लूट व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में कमिश्नरेट स्तर पर गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री राजपाल सिंह तोमर तत्कालीन थाना लोनी द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री

संजीव बखरवा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 376(क)/376(2) ज ,झ,ढ भादवि व 4/6 पॉक्सो में अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी म०न० 365, राजीव गार्डन बाल्मिकी मन्दिर के पास थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा०विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं०-02 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 24.11.2025 को धारा 6 पॉक्सो अधि० में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दिनांक- 02.11.2014 को अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ बलात्कार करना जिससे पीडिता गर्भवती हो जाना, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

		
श्री संजीव बखरवा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	म०मु०आ० प्रवेश पाल पैरोकार कन्विक्शन सेल	आ० सौरभ पैरोकार थाना लोनी